(b) what are the names of tourist centres that were sponsored by the Government of India to be developed to attract more foreign tourists in Tamil Nadu, Kerala, Karnataka and Andhra Pradesh?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI MADHAV RAO SCINDIA): (a) The foreign exchange earnings from tourism during 1988-89, 1989-90 and 1990-91 are estimated to be Rs. 2053.8 crores, Rs. 2466 crores, and Rs. 2444 crores, respectively.

(b) Government of India does not sponsor tourist centres directly in Tamil Nadu, Kerala, Karnataka and Andhra Pradesh. Development of tourist centres is primarily the responsibility of the State Governments and assistance is extended by the Central Government on the basis of specific proposals received from them.

पर्यटन विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले परमिट

925. **श्री चतुरानन मिश्र :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पर्यटन विभाग के क्षेत्रीय निदेशालय द्वारा पर्यटन गाइडों, पर्यटन-कारों, होटलों और दुकानों के लिये अनुज्ञा-पत्र जारी किये जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो जून, 1989 से जून, 1991 के दौरान उपर्युक्त में से प्रत्येक के लिये कितने-कितने अनुज्ञा-पत्र जारी किये गये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) पर्यटन विभाग को पर्यटक कारों, होटलों और दुकानों के लिये परमिट जारी करने की कोई स्कीम नहीं है। तथापि, केन्द्र सरकार की पर्यटन परिवहन प्रचालकों को मान्यता प्रदान करने और होटलों को परियोजना स्तर पर अनुमोदन प्रदान करने एवं इन होटलों का वर्गीकरण करने की एक स्कीम है। पर्यटन गाइडों को गाइड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने पर पहचान-पत्र जारी किये जाते हैं।

(ख) जून, 1989 से जून 1991 तक की अवधि के दौरान, पर्यटक गाइडों को 175 पहचान-पत्र जारी किये गये थे। प्रति वर्ष पहचान-पत्रों का नवीकरण किया जाता है और इस समय कुल 659 अनुमोदित पर्यटक गाइड हैं।

Strike by pilots and engineers of Indian Airlines

926. SHRI SURESH PACHOURI:
SHRI SHIV PRATAP MISHRA:
SHRI KRISHAN LAL SHARMA:

Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether it is a fact that pilots and engineers of Indian Airlines adopted undeclared 'go slow' recently;

(b) if so, what are the details of flights which were disrupted thereby and losses suffered by the Airlines; and

(c) what action Government have taken in the matter?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI MADHAV RAO SCINDIA): (a) Aircraft Maintenance Engineers resorted to "go slow" during the first week of October 1991 and a section of pilots reported sick on 3rd and 4th November, 1991.

(b) The impact of the agitation resulted in, apart from delays to as many as 398 flights, withdrawal of one flight and combining flights thereby reducing their number to 6 as against 13 planned flights. While it is difficult to estimate precisely the loss arising from delayed flights, the loss directly attributable to non-operation of 8 flights is estimated at Rs. 8.75 lakhs.

(c) The main issue of the engineers' agitation i.e. parity in pay scales and

allowances with their counterparts in Air India stands referred to the National Industrial Tribal appointed by the Government.

होटल उद्योग को प्रोत्साहन

927. **डा० अबरार अहमद :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस पर्यटन वर्ष के दौरान होटल उद्योग को दिये जाने वाले प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यद्यपि होटल एक उद्योग है, तथापि इसका निर्माण वाणिज्यिक भूमि पर नहीं किया जा सकता है और क्या सरकार इस संबंध में नियमों की जांच कर उनमें संशोधन करेगी ताकि वाणिज्यिक भूमि पर होटलों का निर्माण किया जा सके ; और

(ग) वर्तमान में किस-किस वर्ग की भमि पर होटलों का निर्माण किया जा सकता है और इस संबंध में राजस्थान में क्या नियम हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) एक विवरण दिया गया है। (नीचे रखिये)

(ख) और (ग) भूमि के मामले जिसमें होटलों के लिये भूमि भी सम्मिलित है, राज्य का विषय है । होटलों के लिये भूमि की उपलब्धता संबंधी समस्याओं को समय-समय पर संबंधित राज्य सरकार के साथ उठाया जाता है । राजस्थान राज्य में वाणिज्यिक भूमि और होटल के प्रयोग के लिये विशेषत: निर्धारित स्थलों पर होटलों का निर्माण किया जा सकता है ।

विवरण

(1) **कर में छूट :**

होटलों की विदेशी मुद्रा आय में से 50% पर आय-कर से सीधी छट मिल जाती है और शेष 50% पर भी छूट मिलती है बशर्ते उसे फिर से पर्यटन उद्योग में लगाया जाये ।

31-3-1990 के बाद परन्तु 1-4-1995 से पहले खुलने वाले अनुमोदित होटल कर से छुट्टी की कटौतियां पाने के पात्र हैं । यह कटौती लाभ के 25 से 30% की रेंज में दस वर्ष के लिये मिलती है ।

होटल उद्योग और पर्यटन संबंधी अन्य कार्यकलापों में नई इक्विटी में 25,000/- रुपये तक के शेयरों की लागत के 20 प्रतिशत की राशि के बराबर कर पर कटौती दी जाती है।

टी एफ सी आई, आई एफ सी आई, आई डी बी आई और आई सी आई सी आई भी विदेशी मुद्रा आय की राशि पर 20% ब्याज की रिबेट देते हैं बशर्ते कि 5 स्टार होटलों के माल में 50% से अधिक व्यापार विदेशी मुद्रा में किया जाये ; और 3 अथवा 4 स्टार होटलों के मामले में 25% व्यापार विदेशी मुद्रा में किया जाये ।

पर्वतीय क्षेत्र, अथवा एक ग्रामीण क्षेत्र अथवा एक तीर्थस्थान और ऐसे किसी स्थान पर जिसे सरकार विनिर्दिष्ट करती है, नये अनुमोदित होटलों को (1-4-1991 से) 10 वर्ष की अवधि के लिये व्यय-कर से छूट दी जायगी । इन होटलों को आय कर में भी 50% की छूट दी जायेगी । यह रियायत उन पात्र होटलों को उपलब्ध होगी जो 31 मार्च, 1994 से पहले पहले कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, (इस संबंध में नियम तैयार किये जा रहे हैं और एक गजट अधिसूचना के साथ ही लागू हो जायगे)

(2) **मूल्यह्रास :**

2-4-1987 से (कर निर्धारण वर्ष 1988-89) होटल भवन 20% की दर से मूल्यह्रास पाने के पात्र होंगे । होटलों में प्रयोग में आने वाले फर्नीचर एवं फिटिंग्स पर 10% की सामान्य